भाग- 1

क

न्यायालय : अपर सेशन न्यायाधीश, पाली (राज.)	
पीठासीन अधिकारी	**शरद तँवर,** R.J.S (जिला न्यायाधीश संवर्ग)
निर्णय दिनांक	**10.07.2026**
प्रकरण संख्या	**सेशन प्रकरण संख्या 252/2025** **राज. राज्य बनाम लादूराम**
CNR No.	RJPL010029002025
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या	**275 वर्ष 2025**
पुलिस थाना	**सदर, जिला पाली (राज.)**
अपराध का विवरण	**धारा- 64 (2) (M), 64 (2) (F), 351 (3) भारतीय न्याय संहिता, 2023**
परिवादी	**राजस्थान राज्य**
प्रस्तुतकर्ता	**श्री निखिल व्यास** अपर लोक अभियोजक राज्य की ओर से
अभियुक्त का नाम व पता	**लादूराम पुत्र जोधाराम, उम्र-25 वर्ष, निवासी-बरी, पुलिस थाना-खिंवाड़ा, जिला-पाली (राज.)**
अधिवक्ता अभियुक्त	**श्री गुलाबराम मीणा**

ख

अपराध की दिनांक	30.04.2025
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	19.10.2025
आरोप पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक	09.12.2025
आरोप विरचित किए जाने की दिनांक	29.01.2026
साक्ष्य प्रारंभ की दिनांक	09.04.2026
निर्णय आरक्षित किये जाने की दिनांक	10.07.2026
निर्णय दिनांक	10.07.2026
दण्डादेश की दिनांक	- लागू नहीं -

"Authenticated Document"
Govind Ram Chouhan, P.A.& E.A.

ग
अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त का क्रमांक	1
अभियुक्त का नाम	लादूराम
गिरफतारी की दिनांक	22.10.2025
जमानत पर रिहा होने की दिनांक	- अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है -
अपराध अंतर्गत धारा	64(2)(M), 64(2)(F), 351 (3) बीएनएस, 2023
दोषसिद्ध अथवा दोषमुक्त	दोषमुक्त
पारित दण्डादेश	-लागू नहीं-
विचारण के दौरान अभिरक्षा में व्यतीत की गई अवधि	1. पुलिस अभिरक्षा दिनांक 22.10.2025 से 23.10.2025 = 01 दिन 2. न्यायिक अभिरक्षा दिनांक 23.10.2025 से 10.07.2026 = 08 माह 19 दिन

भाग- 2

(क) अभियोजन गवाहान

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
पी.डब्ल्यू. 1	पीडिता	पीडिता
पी.डब्ल्यू. 2	पीडिता की माता	प्रथम सूचना रिपोर्टकर्ता
पी.डब्ल्यू. 3	उषा	पीडिता के धारा 180 बीएनएसएस के बयान लेने के संबंध में
पी.डब्ल्यू. 4	किशन	फर्द नक्शा मौका व हालात मौका
पी.डब्ल्यू. 5	डॉ. दिव्या गेहलोत	पीडिता की मेडीकल रिपोर्ट संबंधी
पी.डब्ल्यू. 6	सोवन	फर्द नक्शा मौका व हालात मौका

पी.डब्ल्यू. 7	डॉ. ओमप्रकाश राठौड	U.S.G. Obstetrics Report के संबंध में
पी.डब्ल्यू. 8	डा. रफीक खान	मुलजिम की मेडीकल रिपोर्ट के संबंध में
पी.डब्ल्यू. 9	भूण्डाराम	मालखाना प्रभारी
पी.डब्ल्यू. 10	महिपाल	मौका तस्दीक
पी.डब्ल्यू. 11	कपूराराम	नतीजा प्रकरण
पी.डब्ल्यू. 12	धनाराम	फर्द गिरफतारी
पी.डब्ल्यू. 13	ढ़लाराम	फर्द गिरफतारी
पी.डब्ल्यू. 14	ओमप्रकाश	अनुसंधान अधिकारी
पी.डब्ल्यू. 15	बीरबल	सेम्पल एफएसएल लेकर जाने वाला

(ख) बचाव गवाहान

रैंक	**नाम**	**साक्ष्य का प्रकार(चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)**
-	-	-

(ग) न्यायालय गवाहान

रैंक	**नाम**	**साक्ष्य का प्रकार(चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)**
-	-	-

<u>अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्शो की सूची</u>

(क) अभियोजन प्रदर्श

प्रदर्श संख्या	**विवरण**
प्रदर्श पी 1	प्रथम सूचना रिपोर्ट

प्रदर्श पी 2	पीडिता के बयान अन्तर्गत धारा 180 बीएनएसएस
प्रदर्श पी 3	फर्द नक्शा मौका व हालात मौका
प्रदर्श पी 4	मेडीकल रिपोर्ट पीडिता
प्रदर्श पी 5	U.S.G. Obstetrics Report
प्रदर्श पी 6	पीड़िता का बयान अन्तर्गत धारा 183 बीएनएसएस लेखबद्ध करने के संबंध में न्यायालय की आदेशिका प
प्रदर्श पी 7	पीडिता के बयान अन्तर्गत धारा 183 बीएनएसएस
प्रदर्श पी 8	पीडिता की माता के बयान अन्तर्गत धारा 180 बीएनएसएस
प्रदर्श पी 8	गवाह किशन के बयान अन्तर्गत धारा 180 बीएनएसएस
प्रदर्श पी 9	पीडिता के मेडीकल परीक्षण के संबंध में थानाधिकारी की तहरीर
प्रदर्श पी 10	पीडिता की यूरिन प्रेगनेंसी रिपोर्ट
प्रदर्श पी 11	जॉच पट्टी
प्रदर्श पी 12	गवाह सोहन उर्फ सोवन के बयान अन्तर्गत धारा 180 बीएनएसएस
प्रदर्श पी 13	गर्भपात के संदर्भ में पीडिता की मेडीकल बोर्ड की रिपोर्ट
प्रदर्श पी 14	अभियुक्त के मेडीकल परीक्षण के संबंध में थानाधिकारी की तहरीर
प्रदर्श पी 15	अभियुक्त के पुरूषत्व बाबत मेडीकल रिपोर्ट
प्रदर्श पी 16	अभियुक्त का डीएनए परीक्षण पहचान फार्म
प्रदर्श पी 17	एफटीए कार्ड एफएसएल भेजने का अग्रेषण पत्र
प्रदर्श पी 18	मालखाना रजिस्टर
प्रदर्श पी 19	रोड सर्टिफिकेट
प्रदर्श पी 20	एफएसएल परीक्षण हेतु थाने का पत्र
प्रदर्श पी 21	एफएसएल परीक्षण हेतु एसपी का अग्रेषण पत्र
प्रदर्श पी 22	एफएसएल की प्राप्ति रसीद

प्रदर्श पी 23	फर्द मौका तस्दीक
प्रदर्श पी 24	पीडिता के गर्भावस्था में होने के कारण उचित कार्यवाही हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को एसएचओ का पत्र
प्रदर्श पी 25	फर्द गिरफतारी
प्रदर्श पी 26	पीडिता के बयान अन्तर्गत धारा 183 बीएनएसएस की सत्यप्रति
प्रदर्श पी 27	फर्द इतिला अभियुक्त
प्रदर्श पी 28	पीडिता के आधार कार्ड की प्रति
प्रदर्श पी 29	पीडिता का स्कूल लीविंग प्रमाण पत्र
प्रदर्श पी 30 व 31	धारा 63(4) (सी) बीएसए का प्रमाण पत्र
प्रदर्श पी 32	विवाह कार्ड की फोटो प्रति
प्रदर्श पी 33	घटनास्थल के निरीक्षण हेतु एफएसएल टीम भिजवाने हेतु थानाधिकारी की तहरीर
प्रदर्श पी 34	अभियुक्त का आपराधिक रिकार्ड
प्रदर्श पी 35	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यालय आदेश
प्रदर्श पी 36	मेडीकल बोर्ड का गठन कर पीडिता का मेडीकल करवाने के संबंध में थानाधिकारी की तहरीर
प्रदर्श पी 37	मेडीकल बोर्ड गठन का कार्यालय आदेश
प्रदर्श पी 38	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का उपखंड मजिस्ट्रेट को पीडिता को नारी निकेतन भिजवाने के संबंध में पत्र
प्रदर्श पी 39 से 43	रोजनामचा रपटें

(ख) बचाव प्रदर्श

प्रदर्श नंबर	**विवरण**
-	-

"Authenticated Document"
Govind Ram Chouhan, P.A.& E.A.

(ग) न्यायालय प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण
-	-	-

(घ) भौतिक वस्तुएं

क्र.सं.	भौतिक वस्तु नंबर	विवरण
-	-	-

<u>निर्णय</u> **दिनांक 10.07.2026**

1. प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 19.10.2025 को परिवादिया ने एक लिखित रिपोर्ट पुलिस थाना सदर, पाली में इस आशय की पेश की कि लादूराम जुलाई माह 2025 में उसके देवर के पुत्र के विवाह के समय, बडी बंदोली के दिन करीब 10 से 12 बजे उसकी पुत्री को डरा धमका कर जोर-जबरदस्ती बलात्कार करने की नियत से हेमावास में बबूल की झाड़ियों में लेकर गया और उसके साथ दो तीन बार बलात्कार एवं खोटा काम किया तथा उसकी पुत्री को जान से मारने की धमकियां दी कि किसी को बताया तो जान से मार देगा और उसे अगवा कर बेच देगा। करीब 8-10 दिन पहले वह और उसकी पुत्री उसके पुत्र से मिलने राजकोट गये जहां तीन चार दिन बाद अचानक उसकी पुत्री का पेट दर्द करने लगा तो उसे प्राथमिक उपचार के लिए निजी अस्पताल लेकर गये तब पता चला कि उसकी पुत्री गर्भवती हो गयी। डॉक्टर व उसके द्वारा पूछने पर उसकी पुत्री ने बताया कि लादूराम ने नारायण की शादी के समय एक दिन पहले जुलाई 2025 को उसे जोर जबरदस्ती डरा धमका कर बबूल की झाड़ियों में ले जाकर उसके साथ दो तीन बार बलात्कार किया। आदि

2. उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना सदर, पाली में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **275/2025** अन्तर्गत धारा **64(2) (M) बीएनएस, 2023** दर्ज कर पुलिस द्वारा अनुसंधान किया गया। दौराने अनुसंधान पीड़िता की निशादेही से घटनास्थल का निरीक्षण कर अपराध विवरण प्रपत्र तैयार किया गया, पीड़िता के बयान ई-साक्ष्य एप के माध्यम से वीडियोग्राफी करके लिये गये, पीड़िता की

माता से अनुसंधान कर बयान धारा 180 बीएनएसएस के तहत व पीड़िता के धारा 183 बीएनएसएस के तहत बयान करवाये गये। पीड़िता का मेडीकल करवाकर रिपोर्ट प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गयी। प्रिजर्वशुदा ब्लड सेम्पल पीडिता का पैकेट मार्क ए व मुलजिम का पैकेट मार्क ए को विधि विज्ञान प्रयोगशाला भिजवाया जाकर प्राप्ति रसीद शामिल पत्रावली की गयी, विशेष वाहक कानि. बीरबल व मालखाना प्रभारी से अनुसंधान किया गया, पीडिता की मेडीकल रिपोर्ट के अनुसार पीडिता 24 सप्ताह की गर्भवती होने, उसके परिजन द्वारा गर्भ को रिमूव कराना चाहने पर प्रार्थना पत्र मय मेडीकल रिपोर्ट जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रस्तुत की गयी, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पीडिता का मेडीकल नहीं करवाने की रिपोर्ट प्राप्त होने पर उसे नारी निकेतन में निरूद्ध कराया गया, मुलजिम लादूराम से पूछताछ कर उसे गिरफ्तार किया गया। मुलजिम की निशादेही से घटनास्थल की मौका तस्दीक करवायी गयी। मुलजिम का पुरूषत्व परीक्षण व स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जाकर रिपोर्ट शामिल पत्रावली की गयी।

3. समग्र अनुसंधान के आधार पर अभियुक्त लादूराम के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा **64(2) (M), 64(2) (F), 351(3) बीएनएस, 2023** का अपराध प्रमाणित पाया जाना निष्कर्ष करते हुए नतीजा चार्जशीट न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पाली में पेश की गयी, जो मामला अनन्य रूप से सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय होने से उक्त प्रकरण श्रीमान सेशन न्यायालय, पाली में कमिट किया गया जो इस न्यायालय को अंतरित किया गया।

4. बहस चार्ज उभय पक्षीय सुनी जाकर **अभियुक्त लादूराम** के विरूद्ध **धारा 64(2) (M), 64(2) (F), 351(3) बीएनएस, 2023** का अपराध बनना पाये जाने से अभियुक्त को तदनुसार आरोप विरचित कर सुनाया एवं समझाया गया तो अभियुक्त ने आरोप से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

5. अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में 15 गवाहान परीक्षित हुए तथा दस्तावेजी साक्ष्य में कुल 43 दस्तावेज प्रदर्श प्रदर्शित करवाए गए जिनका विस्तृत विवरण इस निर्णय के शीर्षक के भाग द्वितीय की तालिका में वर्णित है।

6. अभियोजन साक्ष्य से अभियुक्त के विरुद्ध प्रकट हुई आपराधिक

परिस्थितियों के स्पष्टीकरण हेतु अभियुक्त के अभिकथन **धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता** के तहत लेखबद्ध किये गये, जिसमें उसने अभियोजन साक्ष्य गलत होना, स्वयं का निर्दोष होना व झूठा फंसाया जाना कथन किया तथा प्रतिरक्षा में साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना चाहा।

7. बहस अंतिम उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन व अवलोकन किया गया।

8. बहस के दौरान विद्वान अपर लोक अभियोजक की ओर से तर्क किया गया कि अभिलेख पर लाई गई समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी अभियोजन साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध समुचित रूप से प्रमाणित होते है। अतः अभियुक्त को कठोर दण्ड से दण्डित किया जावे।

9. बचाव पक्ष की ओर से विस्तृत बहस की गई जिसमें सारभूत रूप से यह तर्क किए गए हैं कि प्रकरण में अभियुक्त को झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त द्वारा पीड़िता के साथ किसी प्रकार की घटना कारित नहीं की गयी है। प्रकरण में महत्वपूर्ण साक्षीगण-पीडिता और उसकी माता व उसके दोनों भाई पूर्ण रूप से पक्षद्रोही हुए हैं और अभियोजन कहानी की पुष्टि नहीं करते हैं। चिकित्सक की साक्ष्य से भी यह तथ्य स्पष्ट हुआ है कि प्रदर्श पी 4 रिपोर्ट के अनुसार बलात्कार की पुष्टि नहीं होती है तथा पीडिता किस आदमी से गर्भवती हुई, उसकी पुष्टि नहीं होती है। पत्रावली पर अभियुक्त के विरूद्ध ऐसी कोई तात्विक साक्ष्य नहीं आई है, जिसके आधार पर अभियुक्त को आरोपित अपराध से सम्बद्ध किया जाकर उसे दोषसिद्ध किया जा सके। अतः अभियुक्त को दोषमुक्त किया जावे।

10. **न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है कि:-**

1. क्या अभियुक्त द्वारा दिनांक 30.04.2025 को दिन में करीब 10 से 12 बजे के मध्य गांव हेमावास भीलों की ढ़ाणी से मायाजी होटल की तरफ जाने वाले कच्चे रास्ते के पास पीडिता का रिश्तेदार (बहनोई) होते हुए उक्त स्थिति का दुरूपयोग कर उसके साथ एक दिन में तीन चार बार उसकी इच्छा के विरूद्ध एवं सहमति के बिना बारंबार डरा धमकाकर जबरदस्ती संभोग कर बलात्संग का अपराध कारित किया एवं उसके अश्लील फोटो व

वीडियों बनाकर समाज के ग्रुप में भेजने एवं पीडिता के परिवार को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास किया। इस प्रकार अभियुक्त **लादूराम** ने **धारा 64(2) (M), 64(2) (F), 351(3) बीएनएस, 2023** का दंडनीय अपराध किया।

2. यदि हॉ, तो दण्ड की समुचित मात्रा क्या होगी?

11. इस विचारणीय बिन्दु के संबंध में अभिलेख पर लायी गयी साक्ष्य सामग्री में से सबसे प्रमुख गवाह **पीड़िता पी.डब्ल्यू. 01** की साक्ष्य का अध्ययन करने पर प्रकट होता है कि उसने अपनी मुख्य परीक्षा में बताया है कि **उसके साथ कोई घटना नहीं हुई थी। उसका व लादूराम का मन था इसलिए साथ में रिश्ते में थे।** पुलिस वालों ने उसके बयान नहीं लिये थे। उसके कोर्ट में बयान हुए या नहीं याद नहीं।

12. पक्षद्रोही घोषित किये जाने के बाद अभियोजन पक्ष द्वारा की गयी जिरह में पीड़िता ने पुलिस द्वारा उससे मौका तस्दीक करवाने व बांगड अस्पताल में उसका मेडीकल व U.S.G. Obstetrics Report करवाने से इंकार किया तथा इस सुझाव को स्वीकार किया कि माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में उसने बच्चा गिराने की अनुमति मांगी थी, जिसमें उसे बच्चा गिराने की अनुमति नहीं मिली थी। प्रदर्श पी 1 रिपोर्ट उसकी माता ने पुलिस को दी हो तो जानकारी नहीं होना बताया तथा उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस द्वारा उसके बयान नहीं लिये जाना कथन किया। पीड़िता ने बयान अन्तर्गत धारा 180 बीएनएसएस प्रदर्श पी 2 का सुसंगत भाग लिखाने से इंकार किया और बताया कि धारा 183 बीएनएसएस के बयानों की आदेशिका प्रदर्श पी 6 व अन्य दस्तावेज पर वाई स्थान पर उसका अंगुष्ठा निशान करवाया हो तो उसे याद नहीं है। पीडिता ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 183 बीएनएसएस प्रदर्श पी 07 का सुसंगत भाग लिखाने से इंकार किया तथा इन सुझावों को अस्वीकार किया कि वह उसके चाचा जगदीश के लडके की शादी में आई हुई थी, इस दौरान उसके जीजा लादूराम ने बलात्कार किया हो व लादूराम उसके जीजा लगता है इसलिए उसको बचाने के लिए झूठे बयान दे रही हो। पीडिता ने अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा की गयी जिरह में बताया कि प्रदर्श पी 7 बयान पुलिस के कहने से दिये थे, जबकि उसके साथ कोई भी जबरदस्ती घटना नहीं हुई थी।

"Authenticated Document"
Govind Ram Chouhan, P.A.& E.A.

13. उपरोक्तानुसार पीड़िता द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उसके द्वारा अभियुक्त पर आरोपित अपराध की पुष्टि में कोई कथन नहीं किये गये हैं और उपरोक्त प्रदर्शित दस्तावेजों में वर्णित तथ्यों की पुष्टि नहीं की गयी है। पीडिता ने स्पष्ट शब्दों में कथन किया है कि उसके साथ कोई घटना नहीं हुई थी। उसका व लादूराम का मन था इसलिए साथ में रिश्ते में थे तथा प्रदर्श पी 7 बयान उसने पुलिस के कहने से दिये थे, जबकि उसके साथ कोई भी जबरदस्ती की घटना नहीं हुई थी। अतः पीड़िता स्वयं की साक्ष्य से, उक्त विचाराधीन आरोप की पुष्टि नहीं होती है।

14. पीड़िता की उक्त साक्ष्य के क्रम में **उसकी माता पी.डब्ल्यू. 2** की साक्ष्य का अध्ययन करने पर प्रकट होता है कि अपनी मुख्य परीक्षा में पीड़िता की माता ने बताया है कि उसने पुलिस में रिपोर्ट दी थी लेकिन उसमें क्या लिखा हुआ था, उसे जानकारी नहीं है। उसके व लादूराम के बीच झगड़ा हुआ था जिसकी रिपोर्ट करवाने के लिए सदर थाने में गई थी। झगड़ा आपस में बोलचाल को लेकर हुआ था। तारीख उसे याद नहीं है, झगड़ा उसके घर के बाहर हुआ था, उस वक्त घर पर वह व पीड़िता ही थे। पीड़िता के साथ कोई झगड़ा नहीं हुआ था।

15. पक्षद्रोही घोषित किये जाने पर अभियोजन पक्ष द्वारा की गयी जिरह में इस गवाह ने स्वीकार किया कि रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 उसने पुलिस में दी थी। पुलिस वालों ने उसके बयान नहीं लिये थे और न ही पूछताछ की थी, केवल अंगुष्ठ निशान करवाने के लिए बुलाया था। आगे गवाह ने पुलिस बयान प्रदर्श पी 8 का सुसंगत भाग लिखाने से, प्रदर्श पी 3 नक्शा मौका पर वाई स्थान पर उसका अंगुष्ठ निशान होने से, गवाह की रिपोर्ट पर पुलिस वालों द्वारा पीड़िता का मेडीकल मुआयना प्रदर्श पी 4 करवाने से व उस पर जेड स्थान पर उसका अंगुष्ठ निशान होने से, पीडिता की U.S.G. Obstetrics Report प्रदर्श पी 3 करवाने से तथा धारा 183 बीएनएसएस के बयानों की आदेशिका प्रदर्श पी 6 पर एक्स स्थान पर उसका अंगुष्ठ निशान होने से इंकार किया है। इस गवाह ने कथन किया है कि यह उसे जानकारी नहीं है कि माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर से उसकी पुत्री के गर्भ गिराने की अनुमति मांगी हो और अनुमति न मिली हो। अंततः गवाह ने इस सुझाव को अस्वीकार किया कि उसके देवर जगदीश के लड़के की शादी के दौरान उसके जमाई लादूराम ने उसकी पुत्री पीड़िता के साथ बलात्कार किया हो तथा लादूराम उसका जमाई लगता है, इसलिए उसको बचाने के लिए वह झूठे बयान दे रही हो। अभियुक्त के

अधिवक्ता द्वारा की गयी जिरह में गवाह ने स्वीकार किया कि वह अनपढ़ है, उसने प्रदर्श पी 1 पर केवल अंगुष्ठ निशान किये थे, इसमें क्या लिखा हुआ था, उसे जानकारी नही। उसकी बेटी के साथ लादूराम ने कोई जबरदस्ती व बलात्कार नहीं किया था।

16. पीड़िता के भाई **किशन पी.डब्ल्यू. 4** की साक्ष्य का अध्ययन करने पर प्रकट होता है कि उसने अपनी मुख्य परीक्षा में बताया है कि वे तीन भाई और चार बहने है। पीड़िता के साथ बलात्कार की घटना हुई थी, **पीड़िता के साथ बलात्कार किसने किया था, उसे पता नहीं है**, उसे बलात्कार की जानकारी पुलिस स्टेशन गया था जहां पर उसके हस्ताक्षर करवाये थे, इसलिए उसे जानकारी हुई थी। **उसे पीड़िता ने बलात्कार की घटना के बारे में कुछ नहीं बताया था।** नक्शा मौका घटना स्थल प्रदर्श पी 3 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है।

17. पक्षद्रोही घोषित किये जाने पर अभियोजन पक्ष द्वारा की गयी जिरह में गवाह ने बताया है कि उसके पुलिस में बयान नहीं हुए थे। गवाह ने पुलिस बयान प्रदर्श पी 8 का सुसंगत भाग लिखाने से इंकार किया तथा इस जानकारी से इंकार किया कि उसकी माता ने उसकी बहन के साथ बलात्कार होने की रिपोर्ट पुलिस में दी हो व उसकी बहन ने बच्चा गिराने के लिए माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में याचिका लगाई हो। गवाह ने इस सुझाव को अस्वीकार किया कि लादूराम उसके रिश्ते में जीजा लगते है इसलिए उनको बचाने के लिए झूठे बयान दे रहा हो। अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा की गयी जिरह में इस सुझाव को स्वीकार किया कि उसे घटना की जानकारी नहीं है तथा वह अहमदाबाद गुजरात में रहता है।

18. **गवाह सोवन पी.डब्ल्यू. 6** भी पीड़िता का भाई है, इस गवाह की साक्ष्य का अध्ययन करने पर प्रकट होता है कि उसने अपनी मुख्य परीक्षा में बताया है कि वे तीन भाई और चार बहनें हैं। घटना के बारे में उसे जानकारी नहीं है, क्योंकि वह बाहर राजकोट था। वह किस घटना के संबंध में बयान देने आया है, उसे पता नहीं है। नक्शा मौका घटनास्थल प्रदर्श पी 3 पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। पक्षद्रोही घोषित किये जाने पर अभियोजन पक्ष द्वारा की गयी जिरह में गवाह ने पुलिस बयान प्रदर्श पी 12 का सुसंगत भाग लिखाने से इंकार किया और बताया कि नारायण की शादी में वह नहीं गया था, अजखुद कहा कि वह गुजरात था। उसे जानकारी नहीं है कि उसकी मॉ ने उसकी बहन

(पीड़िता) के साथ उसके जीजा लादूराम द्वारा नारायण की शादी के दौरान बलात्कार किया उसकी रिपोर्ट दी हो और उसके बच्चा गिराने के संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में कोई याचिका पेश की हो और अभियुक्त का रिश्ते में जीजा लगने से उसको बचाने के लिए न्यायालय के समक्ष गवाह द्वारा झूठे बयान दिये जाने से भी इस गवाह ने इंकार किया है।

19. उपरोक्तानुसार अभिलेख पर आई साक्ष्य सामग्री के अध्ययन से यह भलीभांति पाया गया है कि पीड़िता द्वारा अभियुक्त पर आरोपित अपराध की पुष्टि में कोई साक्ष्य नहीं दी गयी है, जबकि विचाराधीन अपराध की एकमात्र प्रत्यक्ष एवं सर्वोतम साक्षी पीड़िता स्वयं है। इस प्रकरण में अन्य गवाहान की साक्ष्य पीड़िता द्वारा उन्हें दी गयी जानकारी पर आधारित है। ऐसी स्थिति में स्वयं पीड़िता द्वारा अभियोजन कहानी की पुष्टि नहीं किये जाने के कारण शेष गवाहान की साक्ष्य का भी अधिक मूल्य नहीं रह जाता है और पीड़िता की माता तथा दोनों भाई भी पक्षद्रोही रहे हैं जिनके द्वारा अभियोजन मामले की पुष्टि नहीं की गयी है।

20. उपरोक्त के अलावा इस प्रकरण में डॉ. दिव्या गेहलोत पी.डब्ल्यू. 5, डॉ. ओमप्रकाश राठौड पी.डब्ल्यू. 6 व डॉ. रफीक खान पी.डब्ल्यू. 7 की चिकित्सकीय साक्ष्य भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुई हैं। **डॉ. दिव्या गेहलोत पी.डब्ल्यू. 5** ने बताया है कि दिनांक 20.10.2025 को राजकीय बांगड अस्पताल पाली में सीनियर रेजीडेन्ट स्त्री रोग विभाग के पद पर रहते हुए पुलिस थाना सदर, पाली की तहरीर प्रदर्श पी 9 पर पीड़िता का मेडीकल मुआयना कर रिपोर्ट प्रदर्श पी 4 तैयार की थी। पीड़िता का यूरिन प्रेगनेंसी जाँच की गई थी जो पॉजिटिव आई थी जिसकी रिपोर्ट प्रदर्श पी 10 है तथा जाँच पट्टी प्रदर्श पी 11 है। पीड़िता का हाइमन ओल्ड टोर्न एण्ड हिल्ड था तथा बाहरी एवं आंतरिक हिस्से पर कोई चोटों के निशान नहीं पाये गये। घटना पीड़िता के बताये अनुसार 04 माह पुरानी होने के कारण कोई सेम्पल्स नहीं लिये गये, केवल ब्लड आन एफ.टी.ए. कार्ड लिया गया था। घटना के वक्त पहने कपड़े पीड़िता के पास नहीं थे तथा वे कपड़े उसने कई बार धो लिये थे इसलिए नहीं लिये गये। **जिरह** में डॉ. दिव्या गेहलोत ने स्वीकार किया कि प्रदर्श पी 04 के अनुसार बलात्कार की पुष्टि नहीं होती है, अजखुद कहा कि सम्भावनाओं से से इंकार नहीं किया जा सकता। एफ.टी.ए. कार्ड के अलावा उसने कोई सेम्पल्स नहीं लिये थे और न ही एफ.एस.एल. के लिए भेजे थे तथा प्रदर्श पी 4 में उसने अंतिम राय नहीं दी थी, अजखुद कहा कि राय रिजर्व रखी थी।

21. **गवाह डॉ. ओमप्रकाश राठौड़ पी.डब्ल्यू. 7** ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि दिनांक 21.10.2025 को वह राजकीय बांगड अस्पताल पाली में रेडियोलॉजिस्ट के पद पर पदस्थापित था, उस रोज उसने मेडीकल ज्युरिष्ट के रिक्वीजेशन पर पीड़िता की सोनोग्राफी कर उसकी रिपोर्ट प्रदर्श पी 5 दी थी। उसकी रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता के गर्भ में 24 सप्ताह का जीवित भ्रूण था। पीड़िता की मेडीकल बोर्ड की रिपोर्ट प्रदर्श पी 13 है। जिरह में डॉ. ओमप्रकाश राठौड़ ने स्वीकार किया कि पीड़िता किस आदमी से गर्भवती हुई उसके बारे में उसे जानकारी नहीं है। प्रदर्श पी 13 में किसी प्रकार की राय नहीं है, अजखुद कहा कि उसने सोनोग्राफी रिपोर्ट तक ही विवरण दिया था।

22. **गवाह डॉ.रफीक खान पी.डब्ल्यू. 08** ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि दिनांक 22.10.2025 को बांगड अस्पताल, पाली में मेडीकल ज्युरिष्ट के पद पर रहते हुए पुलिस थाना सदर, पाली की तहरीर प्रदर्श पी 14 के अनुसरण में अभियुक्त लादूराम का पुरूषत्व संबंधी मेडीकल मुआयना कर रिपोर्ट प्रदर्श पी 15 तैयार की गयी थी जिसके अनुसार ऐसे कोई आलामात नहीं पाये गये थे जिनके आधार पर यह कहा जा सके कि अभियुक्त संभोग करने में असमर्थ हो। इसके अलावा डॉ. रफीक खान ने यह भी बताया है कि उसके द्वारा अभियुक्त का ब्लड सेम्पल एफ.टी.ए. कार्ड पर सुरक्षित कर पुलिस कर्मी को सुपुर्द कर दिया था। डी.एन.ए. पहचान फार्म प्रदर्श पी 19 व एफ.टी.ए. कार्ड बाबत एफएसएल अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी 17 है। **जिरह** में डॉ. रफीक खान ने स्वीकार किया कि प्रदर्श पी 15 के अनुसार अभियुक्त के शरीर व जननांगों पर किसी प्रकार की खरोंच व लालिमा नहीं पायी गयी।

23. प्रकरण में चिकित्साधिकारियों द्वारा पीडिता व अभियुक्त के एफटीए कार्ड पर लिये गये सेम्पलों को मालखाना में जमा करवाये जाने एवं तत्पश्चात सेम्पलों को जॉच हेतु एफएसएल प्रेषित किये जाने संबंधित तथ्यों की पुष्टि हेतु **तत्कालीन मालखाना प्रभारी भूण्डाराम पी.डब्ल्यू. 9** व सेम्पल्स एफएसएल लेकर जाने वाला **कानि. बीरबल पी.डब्ल्यू. 15** न्यायालय के समक्ष परीक्षित हुए है जिनके द्वारा मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी 18, रोड सर्टिफिकेट प्रदर्श पी 19, थाने का अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी 20, एसपी कार्यालय का अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी 21, एफएसएल की प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी 22 को प्रदर्शित करवाते हुए उपरोक्त तथ्यों की पुष्टि में कथन किये गये हैं।

24. प्रकरण में प्राप्त एफएसएल रिपोर्ट में जाँच नतीजे के रूप में पीड़िता के एफटीए कार्ड पर लिये गये खून के नमूने में स्त्री का डीएनए प्रोफाईल तथा अभियुक्त के एफटीए कार्ड पर लिये गये खून के नमूने में पुरूष का डीएनए प्रोफाईल पाया जाना अंकित किया गया है। इसके अलावा और किसी प्रकार का निष्कर्ष प्रस्तुत नहीं हुआ है। इस प्रकरण में पीड़िता का स्त्री होना और अभियुक्त का पुरूष होना विवादित नहीं है तथा अभियोजन पक्ष की ओर से यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि एफएसएल से उपरोक्त के अलावा क्या राय मांगी गयी थी और न ही उक्त एफएसएल रिपोर्ट में ऐसा कोई तथ्य है जो विचाराधीन अपराध में अभियुक्त की संलिप्तता की पुष्टि करता हो। अतः प्राप्त एफएसएल रिपोर्ट में अभियुक्त के विरूद्ध कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुई है। उपरोक्तानुसार प्रस्तुत हुई चिकित्सा अधिकारियों की साक्ष्य से भी प्रकरण में विचाराधीन आरोपों की पुष्टि नहीं होती है।

25. **गवाह धनाराम पी.डब्ल्यू. 12 व ढ़लाराम पी.डब्ल्यू. 13** ने अभियुक्त की फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी 25 कि पुष्टि में कथन किये है। **गवाह महिपाल पी.डब्ल्यू. 10** ने अनुसंधान अधिकारी ओमप्रकाश पी.डब्ल्यू. 14 द्वारा अभियुक्त की निशादेही से बलात्कार करने वाले स्थान की मौका तस्दीक प्रदर्श पी 23 उसके व कानि. जयवीर के रूबरू किये जाने की पुष्टि की है, किन्तु जिरह में गवाह ने स्वीकार किया कि प्रदर्श पी 23 स्थल पर गये जहाँ पर कोई बलात्कार से संबंधित आलामात नहीं पाये गये थे।

26. प्रकरण में शेष रहे गवाहान में **अनुसंधान अधिकारी ओमप्रकाश पी.डब्ल्यू. 14** तत्कालीन उप निरीक्षक पुलिस थाना सदर, पाली है जिसने दिनांक 19.10.2025 को पीडिता की माता द्वारा प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 दर्ज कर प्रकरण सं. 275/2025 धारा 64(2) (एम) बीएनएस में पंजीबद्ध कर अनुसंधान प्रारम्भ करना, अनुसंधान के दौरान पीड़िता के बयान प्रदर्श पी 2 महिला कांस्टेबल श्रीमती उषा के माध्यम से लेखबद्ध करवाकर अभिलेख पर लिया जाना, गवाहान के बयान उनके कहेनुसार स्वयं द्वारा लेखबद्ध करवाया जाना, गवाह सोवन व किशन के रूबरू पीड़िता की निशादेही से घटनास्थल का निरीक्षण कर फर्द प्रदर्श पी 3 बनायी जाना, पीडिता की मेडीकल जाँच हेतु तहरीर प्रदर्श पी 9 देकर मेडीकल रिपोर्ट प्रदर्श पी 4, यू.एस.जी. रिपोर्ट प्रदर्श पी 5 व यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट रिपोर्ट प्रदर्श पी 10 व यूरिन प्रेगनेंसी किट प्रदर्श पी 11 प्राप्त किया जाना, अभियुक्त लादूराम की पोटेन्सी परीक्षण हेतु तहरीर प्रदर्श पी 14 देकर अभियुक्त की पोटेन्सी रिपोर्ट प्रदर्श पी 15 प्राप्त करना,

पीडिता के धारा 183 बीएनएसएस के तहत न्यायालय के समक्ष बयान प्रदर्श पी 7 करवाकर प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी 26 शामिल पत्रावली करना, अभियुक्त को जरिए फर्द प्रदर्श पी 25 गिरफ्तार कर उससे प्राप्त इतिला प्रदर्श पी 27 के अनुसरण में उसकी निशादेही से रूबरू मौतबिरान घटनास्थल का मौका तस्दीक कर फर्द प्रदर्श पी 2 बनायी जाना और सेम्पलों को जॉच हेतु एफएसएल प्रेषित किये जाने संबंधित तथ्यों की पुष्टि करते हुए रोड सर्टिफिकेट प्रदर्श पी 19, थाने का अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी 20, एसपी का अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी 21 व प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी 22 प्रदर्शित कराये।

27. **अनुसंधान अधिकारी ओमप्रकाश पी.डब्ल्यू. 14** ने अपनी मुख्य परीक्षा के अंत में पी़डिता की उम्र बाबत आधार की प्रति एवं स्कूल लीविंग प्रमाण पत्र की फोटो प्रति प्रदर्श पी 28 व 29, पीडिता के पुलिस बयान की वीडियोग्राफी करने का प्रमाण पत्र प्रदर्श पी 31, विवाह कार्ड की फोटो प्रति प्रदर्श पी 32, घटनास्थल के निरीक्षण हेतु एफएसएल टीम भिजवाने हेतु थानाधिकारी की तहरीर प्रदर्श पी 33, अभियुक्त का आपराधिक रिकार्ड प्रदर्श पी 34, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यालय आदेश प्रदर्श पी 35, मेडीकल बोर्ड का गठन कर पीडिता का मेडीकल करवाने के संबंध में थानाधिकारी की तहरीर प्रदर्श पी 36, मेडीकल बोर्ड गठन का कार्यालय आदेश प्रदर्श पी 37, माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार पीडिता को नारी निकेतन भिजवाने के संबंध में किये गये पत्राचार प्रदर्श पी 38 व रोजनामचा रपटे प्रदर्श पी 39 से 43 प्रदर्शित कराये।

28. बचाव पक्ष द्वारा की गयी जिरह में ओमप्रकाश पी.डब्ल्यू. 14 ने स्वीकार किया कि प्रदर्श पी 1 पेशकर्ता परिवादिया अनपढ़ महिला थी, प्रदर्श पी 3 घटनास्थल पर पहुंचे तब उसे घटना से संबंधित किसी भी प्रकार के आलामात नहीं मिले थे। प्रदर्श पी 1 में पीड़िता के साथ किस दिनांक को घटना घटित हुई इसके बारे में उल्लेख नहीं है, जिस समय प्रदर्श पी 1 पेश की गयी वो घटना से करीबन चार माह बाद देरी पेश की गयी, उक्त देरी का विवरण प्रदर्श पी 1 में उल्लेख किया हुआ नहीं है, दौराने अनुसंधान उसे पीड़िता के किसी प्रकार के अश्लील वीडियों व फोटोग्राफ्स प्राप्त नहीं हुए थे और न ही उसे पीड़िता द्वारा पेश किये गये। गवाह ने इन सुझावों से इंकार किया कि उसने गवाहान के बयान उनके कहेनुसार नहीं लिखे हो और वह परिवादिया से मिल गया और उपरोक्त प्रकरण में मुलजिम लादूराम के विरूद्ध झूठी कार्यवाही कर दी और दूषित अनुसंधान कर मुलजिम को उपरोक्त प्रकरण में झूठा फसाया हो।

"Authenticated Document"
Govind Ram Chouhan, P.A.& E.A.

29. अनुसंधान अधिकारी ओमप्रकाश द्वारा प्रस्तुत उक्त साक्ष्य के संबंध में ही **गवाह उषा पी.डब्ल्यू. 3** ने पीड़िता के बयान अन्तर्गत धारा 180 बीएनएसएस प्रदर्श पी 2 उसके कहेनुसार लिये जाने की पुष्टि की है, किन्तु इस गवाह ने स्वीकार किया है कि उसके सामने उक्त बयानों की किसी प्रकार की सी.डी. नहीं बनाई थी।

30. प्रकरण में **तत्कालीन थानाधिकारी, सदर पाली कपूराराम पी.डब्ल्यू. 11** ने बताया कि दिनांक 27.10.2025 को थानाधिकारी पुलिस थाना सदर, पाली के पद पर रहते हुए सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पाली को पीडिता के गर्भावस्था में होने से उचित कार्यवाही के लिए प्रार्थना पत्र प्रदर्श पी 24 पेश किया था। दिनांक 25.11.2025 को बाद अनुसंधान उप निरीक्षक ओमप्रकाश द्वारा पत्रावली नतीजा हेतु पेश करने पर उसके द्वारा चालान आदेश प्राप्त कर अभियुक्त के विरूद्ध न्यायालय में नतीजा चार्जशीट पेश की गयी। जिरह में कपूराराम ने स्वीकार किया कि उसके द्वारा उक्त प्रकरण में कोई अनुसंधान नहीं किया गया था।

31. प्रकरण में अभिलेख पर लायी गयी अनुसंधानकर्ताओं की उपरोक्त साक्ष्य के संबंध में उल्लेखनीय है कि अनुसंधान के दौरान संकलित की गयी जिस साक्ष्य सामग्री के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित पाये जाने का निष्कर्ष किया गया है, उसी साक्ष्य सामग्री की न्यायालय के समक्ष हुई परीक्षा की पूर्वोक्त विवेचना के अनुसार अनुसंधानकर्ता के उपरोक्त निष्कर्ष की पुष्टि नहीं होना पाया गया है। प्रकरण में सबसे प्रमुख गवाह पीड़िता एवं उसकी माता व दोनों भाई पूर्ण रूप से पक्षद्रोही रहे है और अभियोजन कहानी तथा अभियुक्त पर आरोपित अपराध की पुष्टि नहीं करते हैं। चिकित्सा अधिकारी डॉ. दिव्या गेहलोत द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अनुसार प्रदर्श पी 4 से बलात्कार की पुष्टि नहीं होना, चिकित्सा अधिकारी डॉ. रफीक खान के अनुसार अभियुक्त के शरीर व जननांगों पर किसी प्रकार की खरोंच व लालीमा नहीं पाया जाने की पुष्टि की गयी है। प्रकरण में घटनास्थल से भी ऐसी कोई साक्ष्य बरामद नहीं की गयी है जिससे विचाराधीन आरोप की पुष्टि होती हो और भौतिक साक्ष्य में मोबाईल फोन से खींचे आपत्ति-जनक फोटो अथवा वीडियों नहीं मिलना पाया गया है। प्राप्त एफएसएल रिपोर्ट में अभियुक्त के विरूद्ध कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुई है।

32. अभियोजन पक्ष की ओर से अपनी बहस में यह कथन भी किया गया है कि इस प्रकरण में पीड़िता द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा 180 बीएनएसएस में, धारा 183 बीएनएसएस में एवं माननीय राज. उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत याचिका में किये गये कथनों से बिल्कुल विपरीत जाकर इस न्यायालय के समक्ष प्रकरण के विचारण के दौरान हुई परीक्षा में कथन किये गये है। इस प्रकार पीड़िता द्वारा प्रकरण के अनुसंधान के दौरान न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 183 बीएनएसएस के तहत शपथ पूर्वक किये गये कथनों से मुकरते हुए इस न्यायालय के समक्ष अभियोजन कहानी के विपरीत सशपथ कथन किये गये हैं अतः पीड़िता द्वारा मिथ्या साक्ष्य दिया जाना प्रकट हुआ है। दूसरी ओर पीड़िता ने पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत लाभ भी प्राप्त किया है, अतः पीड़िता के विरूद्ध समुचित कार्यवाही की जावे।

33. इस संबंध में पत्रावली के अध्ययन एवं पूर्वोक्त समग्र विवेचना के अनुसार पीड़िता एवं अभियुक्त आपस में निकट रिश्तेदार होकर एक दूसरे से भलीभांति परिचित होना, पीड़िता के बयान अन्तर्गत धारा 183 बीएनएसएस एवं तत्संबंधी आदेशिका व समन पर एवं न्यायालय के समक्ष लेखबद्ध हुए बयान पर पीड़िता की अंगुठा निशानी दर्ज होने के अनुसार वह निरक्षर अथवा अत्यन्त कम पढ़ीलिखी होना तथा पीड़िता की माता एंव इस प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्टकर्ता भी अनपढ़ महिला होना पाया गया है। पीड़िता बिल्कुल युवा है और उसने इस न्यायालय के समक्ष अपने बयान में स्पष्ट कथन किया है कि न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान प्रदर्श पी 7 उसने पुलिस के कहने से दिये थे, जबकि उसके साथ कोई जबरदस्ती घटना नहीं हुई थी तथा उसका व अभियुक्त का मन था इसलिए साथ में रिश्ते में थे। पीड़िता की माता द्वारा भी अपने न्यायालय के समक्ष बयान में कथन किया गया है कि वह अनपढ़ है, उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 पर केवल अगुठा निशान किये थे, उसमें क्या लिखा हुआ है, उसे जानकारी नहीं है। उक्त तमाम तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए हस्तगत प्रकरण में पीड़िता के विरूद्ध जानबूझकर मिथ्या साक्ष्य देने के विषय में दांडिक कार्यवाही की अनुशंषा किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

34. अतः उपरोक्त प्रकार से किये गये समग्र विवेचन के अनुसार अभियोजन पक्ष अभियुक्त पर आरोपित अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करा पाने में असफल रहना पाया जाता है। फलतः अभियुक्त आरोपित अपराध से संदेह का लाभ पाकर दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

35. अतः अभियुक्त **लादूराम** पुत्र जोधाराम, उम्र-25 वर्ष, निवासी-बरी, पुलिस थाना-खिंवाड़ा, जिला-पाली (राज.) को अपराध अन्तर्गत **धारा- 64 (2) (M), 64 (2) (F), 351 (3) भारतीय न्याय संहिता, 2023** के आरोप से संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

36. अभियुक्त धारा 437क द.प्र.सं. (481 बी.एन.एस.एस.) के तहत माननीय उच्चतर न्यायालय के समक्ष अपनी उपस्थिति के प्रयोजनार्थ रूपये 25,000/- का स्वयं का मुचलका एवं समान राशि की जमानत इस आशय की पेश करें कि इस निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत की जाने वाली किसी अपील या याचिका के संबंध में नोटिस जारी किये जाने पर वह माननीय उच्चतर न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेंगा। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है जिसकी रिहाई तहरीर जारी हो।

37. प्रकरण में अभिलेख पर आई साक्ष्य सामग्री की पूर्वोक्त विस्तृत विवेचना के अनुसरण में इस प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए पीड़िता किसी प्रकार की पीड़ित प्रतिकर प्राप्त करने की अधिकारी नहीं होना पायी जाती है।

(शरद तँवर)
अपर सेशन न्यायाधीश,
पाली (राज.)

38. निर्णय आज दिनांक 10.07.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शरद तँवर)
अपर सेशन न्यायाधीश,
पाली (राज.)

"Authenticated Document"
Govind Ram Chouhan, P.A.& E.A.

Signature Not Verified
Digitally signed by
Date: 2026.07.13 12:02:24 IST